

REDUCING LITIGATION Depts Told to Settle Disputes Via Arbitration



ZAHID

Nidhi.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: The department of justice has asked all ministries and government departments to reduce litigation and settle disputes through arbitration or online mediation. In a recent directive, the department has provided a ready-made list of at least 13 firms that are involved in out-of-court dispute resolution methods and has advised ministries to take their services.

In a meeting by secretary (justice) last week, the government departments and autonomous bodies were asked to settle disputes through alternate resolution mechanisms. A special emphasis was laid on online mediation. The department also provided a list of 13 firms that would help ministries settle disputes. These include Assocham-International Council of Alternate Dispute Resolution, Bangalore International Mediation, Arbitration and Conciliation Centre, Centre for Advanced Mediation Practice, Construction Industry Arbitration Council, Delhi Dispute Resolution Society, Indian Institute of Arbitration and Mediation.

At present, there are more than 3.14 crore cases pending in various courts and 46% of these involve government departments and autonomous bodies. A senior official told ET: "This is why the department of justice wants to explore options of dispute settlement through alternate methods, like mediation and arbitration."

इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की डिग्री भी अब रोजगार की गारंटी नहीं मानी जाती सबसे खराब दौर में है उच्च शिक्षा




शशांक द्विवेदी

लगता है, उच्च और तकनीकी शिक्षा के बुरे दिन आ गए हैं। हायर एजुकेशन के ढांचे की चरमराहट पिछले पांच वर्षों से सुनी जा रही थी, लेकिन किसी सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया। अब यह लगभग पूरा ही ध्वस्त हो चुका है। पिछले दिनों उच्च और तकनीकी शिक्षा की सबसे बड़ी नियामक संस्था ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) ने तय किया है कि जिन इंजीनियरिंग कॉलेजों में पिछले 5 सालों में 30 प्रतिशत से कम दाखिले हो रहे हैं, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल देश भर में एआईसीटीई से संबद्ध 10,361 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिनमें कुल 3,701,366 सीटें हैं। अभी इन 37 लाख में 27 लाख सीटें खाली हैं, जो एक भयावह आंकड़ा है। एआईसीटीई ने पहले तो बिना ठीक से जांचे-परखे, गुणवत्ता की चिंता किए देश में हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लाइसेंस दे दिए और बिना मांग-आपूर्ति और रोजगार का विश्लेषण किए इतनी सारी सीटें बना दीं। अब जब वे नहीं भर पा रही हैं तो इसके हाथ-पैर फूल रहे हैं।

व्यावहारिकता से दूर

सवाल है कि एआईसीटीई ने पहले ही स्थिति को संभालने की कोशिश क्यों नहीं की? जब तकनीकी शिक्षा का ढांचा चरमरा रहा था, तभी उसने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? क्या उसे नहीं पता कि इतने बड़े पैमाने पर सीटें खाली रहने और कॉलेजों के बंद होने का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? सचाई यह है कि उच्च और तकनीकी शिक्षा की बुनियाद 2010 से ही हिलने लगी थी और 2014 तक लगभग 10 लाख सीटें खाली थीं। तीन साल पहले मोदी सरकार के आने के बाद उम्मीद जगी कि चीजें बदलेंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार बदली लेकिन नीतियां वही रहीं। और अब हालात ऐसे हो गए हैं, जिन्हें



हाल में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में कौशल विकास मंत्री को उनके नॉन परफॉरमेंस की वजह से हटा दिया गया

संभालना बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। इस सत्र में तो आईआईटीज तक में छात्रों की रुचि कम दिखी है। 2017-18 में शुरू हुए बैच के लिए इनमें 121 सीटें खाली रह गई हैं। पिछले चार सालों में आईआईटी में इतनी सीटें कभी खाली नहीं रहीं। इनके निदेशक मानते हैं कि सीटें खाली रहने का कारण छात्रों को मनपसंद विकल्प न मिलना है।

देश में स्किल इंडिया के इतने हल्ले के बावजूद अनस्किल्ड लोगों की संख्या और बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। हाल में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में कौशल विकास मंत्री को उनके नॉन परफॉरमेंस की वजह से हटा दिया गया। लेकिन कौन आया, कौन गया, इससे फर्क क्या पड़ता है? जब धरातल पर नीतियों का क्रियान्वयन ही ठीक से नहीं होगा तो योजनाएं बनाने का क्या फायदा? फिलहाल जो माहौल है उसे देखकर तो यही लगता है कि

उच्च शिक्षा के हालात अभी और बदतर होंगे। आज इंजीनियरिंग ही नहीं, मैनेजमेंट का भी बुरा हाल है। एसोचैम का ताजा सर्वे बता रहा है कि देश के शीर्ष 20 प्रबंधन संस्थानों को छोड़कर अन्य हजारों संस्थानों से निकले केवल 7 फीसदी छात्र नौकरी पाने के काबिल हैं। 2007 में किए गए ऐसे सर्वे में 25 फीसदी, जबकि 2012 में 21 फीसदी एमबीए डिग्रीधारियों को नौकरी के काबिल माना गया था।

नियामक संस्थाओं और केंद्र सरकार का सारा ध्यान कुछ खास सरकारी संस्थानों पर ही रहता है, जबकि देश भर के 90 प्रतिशत युवा निजी विश्वविद्यालयों और संस्थानों से शिक्षा लेकर निकलते हैं। इन 90 प्रतिशत छात्रों पर आने वाला कोई भी संकट पूरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक स्थिति को भी नुकसान पहुंचाएगा। विकसित भारत का सपना सिर्फ आईआईटी और आईआईएम की बढ़ौलत साकार नहीं हो सकता। असल में हमने यह बात समझने में बहुत देर कर दी कि अकादमिक शिक्षा की तरह ही बाजार की मांग के मुताबिक उच्च गुणवत्ता वाली स्किल शिक्षा देनी भी जरूरी है। एशिया की आर्थिक महाशक्ति दक्षिण कोरिया ने इस मामले में जर्मनी को भी पीछे छोड़कर चमत्कार कर

दिखाया है। 1950 में दक्षिण कोरिया की औद्योगिक स्थिति हमसे बेहतर नहीं थी। लेकिन इसके बाद उसने स्किल विकास में निवेश करना शुरू किया और 1980 आते-आते भारी उद्योगों का हब बन गया।

आज दक्षिण कोरिया की 95 प्रतिशत कार्यशक्ति स्किलड है या वोकेशनली ट्रेड है, जबकि भारत में यह आंकड़ा तीन प्रतिशत है। ऐसे में भारत आर्थिक महाशक्ति कैसे बन सकता है? देश में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजों की संख्या लगातार बढ़ी लेकिन उनकी गुणवत्ता नहीं बढ़ी। न ही इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों के मुताबिक उनका पाठ्यक्रम अपग्रेड किया गया। हमें यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी होगी कि 'स्किल इंडिया' के बिना 'मेक इन इंडिया' का सपना पूरा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी युवा आबादी से अधिकतम लाभ लेने के लिए भारत को उसे स्किलड बनाना होगा। जब छात्र स्किलड होंगे तो उन्हें रोजगार मिलेगा, और उच्च व तकनीकी शिक्षा में व्याप्त मौजूदा संकट तभी दूर हो पाएगा।

मांग और आपूर्ति

आज यूजीसी और एआईसीटीई से पूछा जाना चाहिए कि क्या उनके पास प्रबंधन और इंजीनियरिंग डिग्रीधारियों की वर्तमान और भावी मांग के संबंध में कोई तथ्यपरक और विश्वसनीय आंकड़ा है? क्या भविष्य में नए तकनीकी शिक्षण संस्थान, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोलते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि एमबीए, इंजीनियरिंग, फार्मसी, मेडिकल और डेंटल शिक्षा के कोर्सों की मांग और आपूर्ति में संतुलन बना रहे? इसका विश्लेषण केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और देश की प्रमुख नियामक संस्थाओं को ठीक ढंग से करना पड़ेगा क्योंकि देश में उच्च शिक्षा को लेकर जो मौजूदा संकट है, उसका एक प्रमुख कारण नियामक संस्थाओं का प्रभावी ढंग से काम न कर पाना भी है। अगर उन्होंने शुरुआत में ही उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की होती तो आज देश उच्च शिक्षा के संकट को नहीं झेल रहा होता।